न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र सिंह यादव (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या
14/2022

रजू दिनांक
26.05.2021

निर्णय दिनांक
09-10-25

उनवान

1. धर्मचंद पुत्र मातादीन सैनी आयु लगभग 25 वर्ष जाति माली
2. राजेन्द्र पुत्र मातादीन सैनी जाति माली
3. तोताराम पुत्र मातादीन सैनी जाति माली निवासी ग्राम मांढण तहसील मांडण जिला कोटपूतली–बहरोड राज० ।

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. कबूलसिंह पुत्र हरिसिंह जाति अहीर
2. कर्मवीर पुत्र श्री हरिसिंह जाति अहीर
3. सत्यवीरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति अहीर
4. होशियारसिंह पुत्र हरिसिंह जाति अहीर
5. हरिसिंह पुत्र नोन्दाराम जाति अहीर.... मृतक
6/1 राजवीर पुत्र स्व० श्री हरिसिंह जाति अहीर
6/2 मुन्नी पुत्री हरसिह जाति जाति अहीर
7. रमेश पुत्र हजारीलाल जाति माली निवासीयान ग्राम मांढण तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज० ।

.....अप्रार्थीगण

1. तहसीलदार बहैसियत भू–अभिलेख अधिकारी मांढण (कोटपूतली–बहरोड)
2. नायब तहसीलदार मांढण बहैसियत भू–अभिलेख अधिकारी

.....फोरमल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)
राज० अभिधृति अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1. श्री राजेन्द्रसिंह प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री एम.डी शर्मा ऐड० अप्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक– 09-10-25

पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं–

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में पेश नक्शा सम्वत् 2032 ग्राम मांढण तह0 मांढण में दर्शित आराजीयात हम प्रार्थीगण के पूर्व बुजुर्गान की खातेदारी की आराजी थी। उसके पश्चात् बुजुर्गान के फौत होने के पश्चात् उनकी विरासत अनुसार हिस्सो का बटवारा होकर खाते कायम होते रहे। जिस आराजीयात में आवागमन का रास्ता कदीन से हम प्रार्थीगण द्वारा पेश मौका नक्शा के मुताबिक मौके पर कायम रहा है। प्रार्थीगण द्वारा पेश नक्शे में दर्शित खसरा नम्बर 1722 गै0मु0 चाह पुराना कुआं है एवं ख0न0 1722, 1721 हम प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। ख0न0 1717 प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी की आराजी है। ख0न0 1505 राज्य सरकार की आराजी है। ख0न0 1496 हम प्रार्थीगण एवं अन्य की सहखातेदारी में दर्ज है। ख0न0 1467 गै0मु0 रास्ता है जिसके पूर्व एवं पश्चिम में अन्य आराजीयात है। आ0ख0न0 1722, 1721, 1719 हम प्रार्थीगण की आराजी में ही हम प्रार्थीगण के मकानात एवं कृषि उपज रखने, कृषि उपकरण रखने, रिहायस के लिए बनाए हुए है तथा विधुत संबंध लिया हुआ है।

2. हम प्रार्थीगण द्वारा पेश राजस्व नक्शा में प्रदर्शित रास्ता ख0नं0 1467/0.52 है0 सरकारी भूमि, ख0नं0 1505 की उत्तरी डोल तक दिखाया हुआ है जबकि इसके आगे तरफ दक्षिण

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

को यह रास्ता ख0नं0 1494, 1495 की पूर्वी डोल से लगता हुआ ख0नं0 1505, 1496 से होता हुआ ख0नं0 1717 में प्रवेश करता है एवं ख0नं0 1717 की उत्तरी डोल से लगता हुआ पूर्व–पश्चिम है एवं ख0नं0 1718, 1719, 1720 की पूर्व डोल से लगता हुआ ख0नं0 1717 में होते हुए हम प्रार्थीगण के ख0नं0 1722 मै0मु0 चाह, 1721 की उत्तरी डोल तक जाता है। हम प्रार्थीगण द्वारा मौके पर मौजूद रास्ता को अपने नक्शा से प्रदर्शित किया गया है। इस रास्ता स्थल से हम प्रार्थीगण अपनी आराजीयात ख0नं0 1722, 1721 में अपने बुजुर्गो के समय से लगातार पैदल, पशुधन, बैलगाडी, वाहनो, कृषि उपज सहित आवागमन करते आ रहे है। इसी प्रकार इस रास्ता के दोनो ओर के काश्तकारान अपनी–अपनी आराजीयात में एवं उनमें बने मकानात में आते–जाते रहे है। इस रास्ते के अलावा हम प्रार्थीगण की आ0ख0नं0 1722, 1721, 1719 में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नही है।

3. हम प्रार्थीगण द्वारा पेश नक्शा में प्रदर्शित ख0नं0 1717 के वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 है। जिन्होने अप्रार्थी संख्या 6 सहित गिरोह बना रखा है जो हम प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन करने में व्यवधान पैदा करते है। जिन्होने दिनांक 02.01.2022 को ख0नं0 1717 की उत्तरी डोल पर बाड–तार लगाने की चेष्टा की। जिसका हम प्रार्थीगण ने विरोध किया एवं अप्रार्थीगण को समझाया गया कि रास्ता कदीमी जारी है। हम प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कहा कि ख0नं0 1717 में जितने भू–भाग पर रास्ता है हम प्रार्थीगण अपने ख0नं0 1722, 1721 की उत्तरी डोल तक उसकी पैमाईश कर जितनी भूमि रास्ते की है, उतनी भूमि हम प्रार्थीगण से ले–ले अथवा भूमि की कीमत ले–ले परन्तु अप्रार्थीगण ने इनकार कर दिया। हमारे द्वारा विरोध करने पर रास्ता को यथावत छोड दिया लेकिन उनके द्वारा उक्त रास्ते को बन्द करने की खुली धमकी दी है। इसलिए प्रार्थीगण को न्यायालय श्रीमान में यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

4. राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) एवं अधिनियम के तहत बने नियमो में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि – वैकल्पिक मार्ग का आभाव, मार्ग की अत्यन्त आवश्यकता एवं नए मार्ग मामले में अन्य खातेदार की जोत में से आवागमन हेतु सुविधाजनक उपयोग का अभाव होना आवश्यक है। अर्थात खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में पहूचने के लिए कही कोई रास्ता उपलब्ध नही हो वहां यह नियम लागू होगा। जिसमें यह भी उल्लेख किया हुआ है कि धारा 251 (क) का प्रार्थना पत्र नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा इससे उच्च अधिकारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करेगा।

5. अन्त में प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र को निम्न प्रकार स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की है :– प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्रार्थीगण द्वारा पेश राजस्व नक्शा में प्रदर्शित रास्ता उत्तर से दक्षिण ख0नं0 1467 वाके राजस्व भूमि ग्राम मांढण में ख0नं0 1505 की उत्तरी डोल तक है को इससे आगे की तरफ दक्षिण को ख0नं0 1505 राज्य भूमि ख0नं0 1496 जो प्रार्थीगण एवं अन्य की भूमि है मे से होते हुए आगे तरफ दक्षिण को ख0नं0 1717 जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की भूमि है में से होते हुए प्रार्थीगण के ख0नं0 1722, 1721 वाके ग्राम मांढण तक राजस्व नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे एवं अन्य आदेश बनजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे।

6. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामील अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 4 ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि – प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान के समक्ष शुद्ध हस्त से नही आये है बल्कि गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 1496 व 1723,1722,1721 के सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाये गये है। ना ही प्रार्थना पत्र मे सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाये जाने का कोई कारण ही अंकित किया गया है। जबकि सहखातेदार आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। जिनको पक्षकार मुकदमा बनाये बिना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1496 से लगते खसरा नम्बर 1499,1498,1716 है और खसरा नम्बर 1498 के सहखातेदारो की खातेदारी का खसरा नम्बर 1716 के लगता हुआ खसरा नम्बर 1724 स्थित है जो प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1723 से लगता हुआ है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1496 से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1497, 1498, 1499, 1715, 1716 मे से होता हुआ व खसरा नम्बर 1498 के सहखातेदारो की खातेदारी का खसरा नम्बर 1724 मे से होकर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1723 मे मिल जाता

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपतली-बहरोड़)

है यही से प्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर 1723,1722,1721 मे प्रवेश करते है व आते जाते है। वही से रास्ता प्राप्त कर सकते है। खसरा नम्बर 1498 के राजस्व रिकार्ड मे मातादीन पु.मु. चन्दू के नाम से खातेदारी दर्ज है। मातादीन जी प्रार्थीगण के पिता है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा बिना हक व अधिकार के खिलाफ मौका खिलाफ कानून नियम विरूद्ध तरीके से यह प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र मय हरजा खर्चा खारीज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 5 लगा0 8 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रा0 पत्र के संदर्भ में तहसीलदार मांढण से प्रा0 पत्र में दर्ज बिन्दूओं के संदर्भ में मौका रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/2025/2002 दिनांक 25.08.2025 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार मांढण द्वारा अपने पत्रांक : भू0अ0/2025/1734 दिनांक 03.09.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट मय राजस्व नक्शा इस न्यायालय को भिजवाई गई। जो शामिल पत्रावली की गई।

मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ख0नं0 1722 गै0मु0 चाह है जो प्रार्थीगण के बुजुर्गान के समय का बना हुआ है। इस चाह से लगती हुई समस्त आराजी का प्रार्थीगण के बुजुर्गान फौत होने के पश्चात् उनके वारीसान द्वारा अपने–अपने हिस्से के अनुसार आराजी का बाहमी तौर पर बटवारा कर लिया गया। बटवारे के अनुसार अलग–अलग खाते भी कायम होते रहे। प्रार्थीगण के ख0नं0 1722 में बने हुए कुएं पर आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता छोडा हुआ था तथा प्रार्थीगण भी उसी रास्ते का उपभोग उपयोग करते चले आ रहे है परन्तु अब अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 4 द्वारा उक्त रास्ते में आवागमन करने पर व्यवधान पैदा करते है। इसलिए नियमानुसार रिकॉर्ड में रास्ता कायम कराए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। राज्य सरकार के नियमो के अन्तर्गत किसी भी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि/चाह पर कृषि कार्य हेतु एवं कृषि उपज को लाने ले जाने हेतु, बैलगाडी, ऊंट गाडी, ट्रैक्टर आदि लाने–ले जाने हेतु रास्ता कायम कराने के प्रावधान है। प्रार्थीगण पूर्व से ही प्रस्तावित रास्ते की भूमि का उपभोग–उपयोग करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन नही है। प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम कराने हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि मौके पर कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1496 से लगते खसरा नम्बर 1499,1498,1716 है और खसरा नम्बर 1498 के सहखातेदारो की खातेदारी का खसरा नम्बर 1716 के लगता हुआ खसरा नम्बर 1724 स्थित है जो प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1723 से लगता हुआ है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1496 से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1497, 1498, 1499, 1715, 1716 मे से होता हुआ व खसरा नम्बर 1498 के सहखातेदारो की खातेदारी का खसरा नम्बर 1724 मे से होकर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1723 मे मिल जाता है यही से प्रार्थीगण अपने खसरा नम्बर 1723,1722,1721 मे प्रवेश करते है व आते जाते है। वही से रास्ता प्राप्त कर सकते है। खसरा नम्बर 1498 के राजस्व रिकार्ड मे मातादीन पु.मु.चन्दू के नाम से खातेदारी दर्ज है। मातादीन जी प्रार्थीगण के पिता है। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा बिना हक व अधिकार के खिलाफ मौका खिलाफ कानून नियम विरूद्ध तरीके से यह प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

9. हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के अनुसार कुल खसरे 10 रकबा 2.42 है0 दिगर सहखातेदारान के साथ ख0नं0 1722, 1721 के प्रार्थीगण खातेदार दर्ज है। नकल जमावन्दी सम्वत् 2075–78 के अनुसार कुल खसरे 4 रकबा 1.45 है0 पर ख0नं0 1717 के अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज है एवं ख0नं0 1496 पर प्रार्थीगण अन्य खातेदारान के साथ–साथ सहखातेदार दर्ज है। जमावन्दी के अनुसार ख0नं0 1722 की किस्म गै0मु0 चाह दर्ज है। पत्रावली के संलग्न नक्शा ट्रैस के अवलोकन से साबित है कि ख0नं0 1722 गै0मु0 चाह, ख0नं0 1717 से लगता हुआ है। प्रार्थीगण भी ख0नं0 1717 में से ही रास्ता चाहते है। मौका रिपोर्ट में अंकित किया हुआ है कि ग्राम मांढण के ख0नं0 1506 तक सीमेंट टाईल रास्ता बना हुआ है व ख0नं0 1723 में मकान बनाकर निवास कर रहे है। ख0नं0 1505, 1596, 1717 तक दक्षिण सीमा के मेड के साथ लगता हुआ रास्ता चाहा गया है। ख0नं0 1505 सिवायचक दर्ज है। ख0नं0 1496 निजी खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

1/7 दर्ज है। ख0नं0 1717 खातेदार कबूल सिंह वगै0 के नाम दर्ज है। ख0नं0 1505 सिवायचक में 48x4 = 192 मीटर व ख0नं0 1496 में 60x4 = 240 मीटर व ख0नं0 1717 में 110x4 = 440 मीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। जिसका नजरी नक्शा तैयार कर प्रेषित है। प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है। उक्त मौका रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के आधार पर यह भली–भांती साबित होता है कि ख0नं0 1722 किस्म गै0मु0 चाह है। ख0नं0 1717 इस चाह/कुएं से लगता हुआ है। ख0नं0 1723 में प्रार्थीगण के मकानात बने होना साबित होता है। धारा 251 (क) में यही उल्लेख किया हुआ है कि सुखाचार हेतु रास्ता कायम किया जावें। किसी भी खातेदार को सुखाचार/आवागमन हेतु अपनी खातेदारी भूमि पर पहूंच के लिए उसके लगते हुए अन्य खातेदार की भूमि में से रास्ता कायम कराए जाने के प्रावधान है। मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा के अनुसार ख0नं0 1506 तक रास्ता दर्शित है। ख0नं0 1505, 1496 व 1717 में रास्ता दर्शित नही है। ख0नं0 1717 से लगता हुआ प्रार्थीगण का कुआं ख0नं0 1722 दर्शित है। उसकी पहूंच के लिए रास्ता अंकित नही है। नजरी नक्शे के अनुसार रिकॉर्ड में रास्ता कायम कराया जाना कानून संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को साबित करने के लिए अप्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस प्रमाण/रिकॉर्ड पेश नही किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. **अतः आदेश है कि :–** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मांढण तह0 मांढण में स्थित ख0नं0 1505/0.18 है0 में से 0.0192 है0, 1496/0.21 है0 में से 0.0240 है0, 1717/0.46 है0 में से 0.0440 है0 भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है और तहसीलदार मांढण को आदेश दिए जाते है कि ख0नं0 1505 वाके ग्राम मांढण में से रास्ता की 192 मीटर भूमि के डीएलसी राशि की दोगूनी राशि प्रार्थीगण से राजकोष में जमा करवाई जावें। ख0नं0 1496 वाके ग्राम मांढण में से रास्ता की 240 मीटर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी हिस्से में से कम किया जावे। अगर रास्ता की भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी हिस्से से अधिक तो अधिक भूमि की डीएलसी राशि की दोगूनी राशि प्रार्थीगण से राजकोष में जमा करवाई जाकर उसका भुगतान सहखातेदारान को हिस्से अनुसार किया जावें। ख0नं0 1717 वाके ग्राम मांढण में से रास्ता की 440 मीटर भूमि के डीएलसी राशि की दोगूनी राशि प्रार्थीगण से राजकोष में जमा करवाई जाकर उसका भुगतान ख0नं0 1717 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5 को हिस्से अनुसार किया जावें। बाद पालना तहसीलदार मांढण द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 03.09.2025 में दर्शित प्रस्तावित रास्ता की भूमि का अलग से बटा नम्बर कायम कर उसे प्रार्थीगण के नाम से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाने के आदेश दिए जाते है तथा मौका रिपोर्ट में दर्शित स्थान से रास्ता का तितम्बा काटे जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार मांढण द्वारा पेश मय नक्शा रिपोर्ट दिनांक 03.09.2025 इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की प्रति मय मौका रिपोर्ट प्रति तहसीलदार मांढण को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हों। दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09-10-2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना